अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

LIC Housing Finance Ltd Darbhanga

प्रमाण पत्र सं० 972 / 2019

चुँकि श्री विपिन कुमार S/o स्व. महेश्वर लाल साहु सा. मधारपुर थाना लहेरिया सराय जि.- दरभंगा

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अबभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों एवं अबभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1-1-07 से ता० 30-5-19 तक तलाश कि गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों का पता चला है। नहीं

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा	मि० प्रो० सर्वे थाना बो जि.- दरभंगा						
		खाता 459 खेसरा 982 मात्र						

जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा।

ज्ञाप सं० 972 दिनांक 31-5-19

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, LIC Housing Finance Ltd. को सूचनार्थ।

जिला अवर निबंधक
दरभंगा
31/5/19

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें बशर्ते कि इसका उल्लेख हो।

2. पटटे की दशा में पटटे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण तैयार किया:

(हस्ताक्षर) ..... Santosh Kumar :

(पदनाम) अमिलेखपाल लिपिक :

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की :-

(हस्ताक्षर) ..... :

(पदनाम) लिपिक :

कार्यालय:- **जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा**

तारीख ..... 31/5/19 मुहर

जिला निबंधन पदाधिकारी
दरभंगा
31/5/19 दरभंगा

1. टिप्पणी : इस प्रामाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया हो तो ऐसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (दान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे ।
2. निबंधन अधिनियम धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियो (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हे वि.निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारो के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जयेंगी ।

(क) किन्तु चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नही की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगी ।

(ख) किन्तु चुँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है चुँकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी भी तरह संबंध न होना जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।